

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :- 10-6-14

अधि.सं.-01/स्था.(विविध)-05-26/2014.....5902...../श्री अरविन्द कुमार, अभियंता प्रमुख-01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची दिनांक 12.06.2014 से 24.06.2014 तक सरकारी कार्य हेतु विदेश यात्रा में रहेंगे। उक्त अवधि में उनके सभी कर्तव्यों के पूर्ण निर्वहन हेतु श्री राजेश सोलोमन तिग्गा, अभियंता प्रमुख-02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को अधिकृत किया जाता है।

2. यह आदेश श्री अरविन्द कुमार, अभियंता प्रमुख-01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के वापस आने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

5902

राँची, दिनांक :-

10-6-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड राँची/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 06, 07यो., 07ब., 08ए., 08बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)